UPJB010001082026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03 , जनपद अमरोहा

पीठासीन अधिकारी–संजय चौधरी (उच्चतर न्यायिक सेवा)
फौजदारी निगरानी सं०–09/2026
देवेश उर्फ गुडडू बनाम उ 0 प्र 0 राज्य आदि

आदेश

दिनांकः–01.06.2026

फौजदारी निगरानी की पत्रावली सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुई है। निगरानीकर्ता को सुना गया। इस निगरानी के द्वारा आदेश दिनांक 13.11.2025 को प्रश्नगत किया गया है , जिसके द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरोहा ने विविध वाद सं0 1649/2025 देवेश उर्फ गुडडू बनाम उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. को परिवाद के रूप में दर्ज किया है।

02. निगरानीकर्ता का यह कहना है कि वह घटना को अपने स्तर से साबित नहीं कर सकता है क्योंकि मामला पुलिस से जुड़ा हुआ है। कारागार में निरुद्ध रहने के दौरान दर्ज हुए मुकदमे में अभियुक्त को पुलिस द्वारा फर्जी रूप से फंसाया गया है। विवेचना से यह सब बातें स्पष्ट हो सकती हैं , इसलिए धारा 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना उचित नहीं है , इसलिए प्रश्नगत आदेश को अपास्त कर विवेचना के आदेश पारित किये जाएं।

03. विपक्षी संख्या–02 उपनिरीक्षक व आरोपित मामले का विवेचक जितेन्द्र कुमार अनुपस्थित रहा। विपक्षी संख्या–01 उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान एडीजीसी को सुना गया। विद्वान एडीजीसी द्वारा निगरानी का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त से मोटरसाइकिल की बरामदगी पुलिस के द्वारा की गयी है। बरामदगी के समय अभियुक्त कारागार में निरुद्ध नहीं था , इसलिए निगरानी से लिये गये आधार इस स्तर पर विचार किये जाने योग्य नहीं हैं। निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

04. अभिलेख का अवलोकन यह दर्शा रहा है कि निगरानीकर्ता का यह कहना है कि जिस समय मोटरसाइकिल चोरी के लिए धारा 303 बी0 एन 0 एस 0 के अन्तर्गत थाना गजरौला पर अपराध संख्या 688/2024 दर्ज हुआ था , उस समय निगरानीकर्ता गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में जिला कारागार मुरादाबाद में निरुद्ध था। उसकी जमानत दिनांक 10.12.2024 को स्वीकार हुई। उसके पश्चात दिनांक 01.05.2025 को पुलिस ने उसे घर से उठाया और दिनांक 03.05.2025 की घटना दर्शाते हुए धारा 317 बी0 एन 0 एस 0 के अन्तर्गत अपराध संख्या 233/2025 , थाना अमरोहा नगर में नामजद कर दिया तथा उसी बरामदगी को

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2026.06.01 16:32:41 PKT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गजरौला थाने के अपराध संख्या 688/2024 से भी सम्बन्धित कर दिया , जिसमें अन्तिम आख्या लगायी जा चुकी थी। इन तथ्यों के आधार पर निगरानीकर्ता का यह कहना है कि पुलिस ने फर्जी कार्यवाही की है , वह निर्दोष है , इसलिए पुलिस के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराकर विवेचना करायी जाये।

05. उपरोक्त तथ्यों के साथ प्रस्तुत हुई इस निगरानी के निस्तारण के लिए निम्न दो बिंदु मुख्य रूप से विचारणीय हैं—

01. अभियुक्त/निगरानीकर्ता से एक मोटरसाइकिल की बरामदगी के आधार पर निगरानीकर्ता के विरुद्ध धारा 317 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दिनांक 03.05.2025 को थाना अमरोहा नगर पुलिस के द्वारा जो मुकदमा अपराध संख्या 233/2025 दर्ज किया गया था , उस समय अभियुक्त/निगरानीकर्ता जमानत पर कारागार से बाहर आ चुका था।

02. कथित रूप से दिनांक 03.05.2025 को बरामद दिखायी गयी मोटरसाइकिल जब इसी मोटरसाइकिल की चोरी के लिए थाना गजरौला पर दर्ज अपराध संख्या 688/2024 से सम्बन्धित की गयी , तब विवेचना के दौरान ही अभियुक्त का रिमाण्ड बरामदगी की धारा 317 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत स्वीकृत कराया गया , न कि चोरी करने की धाराओ में और यह सम्भव है कि गजरौला से किसी के द्वारा चुरायी मोटरसाइकिल अभियुक्त ने प्राप्त की हो।

06. उपरोक्तानुसार दोनों ही मुकदमों में अभियुक्त के विरुद्ध केवल बरामदगी का आरोप है। बरामदगी के समय अभियुक्त कारागार में निरुद्ध नहीं था। यदि अभियुक्त को मोटरसाइकिल की चोरी के लिए आरोपित किया गया होता , जो चोरी तब हुई थी , जब अभियुक्त कारागार में निरुद्ध था , तब निश्चित रूप से यह मामला विवेचना योग्य होता , परन्तु केवल बरामदगी के लिए चल रहे इस मामले में अभियुक्त की ओर से अपने समर्थन में जो कुछ कहा जा रहा है , वह उसी सम्बन्धित मुकदमे में अपने बचाव एवं सफाई के लिए प्रस्तुत किया जा सकने वाला मामला है। इसके लिए अलग से किसी मामले को दर्ज करने तथा अलग से जांच अथवा विवेचना कराने की आवश्यकता नहीं है , बल्कि ऐसा किया जाना , एक मुकदमे के न्यायिक परीक्षण के लंबित रहते हुए अभियुक्त के बचाव के आधार पर दूसरा समानान्तर मुकदमा चलाने के कारण न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अतः **निगरानी में कोई बल नहीं है , इसलिए फौजदारी निगरानी सं0 09/2026 बलहीन होने के कारण खारिज की जा रही है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक–01.06.2026

(संजय चौधरी)
Id. No:–UP6401
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–3
जनपद अमरोहा